न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः गौरव अग्रवाल आई.ए.एस

प्रकरण संख्या **02 / 2026** अपील (राजस्व)

GCMS No 2026/8

हिम्मत सिंह राजपुत पिता स्व. गणपत सिंह राजपुत निवासीः चारभुजा मन्दिर के पास, गायरियों का मौहल्ला, तहसील–बड़गांव, उदयपुर

— अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती अंजना कुंवर पत्नी श्री हिम्मत सिंह राजपुत निवासीः चारभुजा मन्दिर के पास, गायरियों का मौहल्ला, तहसील–बड़गांव, उदयपुर
2. श्रीमती कौशल्या कुंवर पत्नी श्री राजेन्द्र सिंह राजपुत निवासीः चारभुजा मन्दिर के पास, गायरियों का मौहल्ला, तहसील–बड़गांव, उदयपुर
3. श्रीमती जमना शर्मा पत्नी श्री नर्बदा शंकर शर्मा निवासीः माना कुआ गली, एकलिंगपुरा, कलड़वास, तहसील–गिर्वा, उदयपुर
4. श्रीमती सायर बाई पत्नी स्व. गणपत सिंह राजपुत निवासीः चारभुजा मन्दिर के पास, गायरियों का मौहल्ला, तहसील–बड़गांव, उदयपुर
5. भूमिधारी जरिये तहसीलदार बड़गांव, उदयपुर

रेस्पोडेन्टगण

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 बनाराजगी तहसीलदार बड़गांव, उदयपुर द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 2558 दिनांक 22.04.2022

उपस्थित : 1. श्री दिलीप शर्मा, अधिवक्ता अपीलार्थी
2. सुनील शर्मा, अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 3

निर्णय

दिनांकः– 19/05/2026

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा एक अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा ग्राम–बड़गांव, पटवार हल्का–बड़गांव, तहसील–बड़गांव, जिला उदयपुर राज. की जमाबन्दी संवत् 2075 से 2078 के खाता संख्या नया / पुराना 473 / 384 के हाल आराजी संख्या 793, कुल किता 01, कुल रकबा 0.1455 हैक्टयर भुमि स्थित हैं। अपीलान्ट ने उक्त जमीन रेस्पोडेन्ट संख्या 3 श्रीमती जमना शर्मा को जरिये मुख्तियार आम से दिनांक 02.12.2020 को विक्रय की जिसका नामान्तरण ग्राम पंचायत बड़गांव द्वारा दिनांक 09.12.2020 को स्वीकृत किया गया हैं। उक्त वर्णित आराजीयात भूमि अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2, 3 व 4 के नाम खाते दर्ज हो चली आ रही थी। तहसीलदार महोदय द्वारा प्रशासन गाँवों के संग में दिनांक 22–04–2022 को श्रीमती जमना कुमारी

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट

जिला कलक्टर
उदयपुर

रेस्पोडेन्ट संख्या 3 के नामान्तरण की बिना जांच किये दुबारा नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया गया हैं। जबकि उक्त नामान्तरण पुर्व में ग्राम पंचायत बड़गाव में दिनांक 09.12.2020 को नामान्तरण संख्या 2473 स्वीकृत किया जा चुका था। उक्त नामान्तरकरण खोलते वक्त सवहन से तहसीलदार महोदय द्वारा प्रशासन गाँवों के संग में दिनांक 22-04-2022 को श्रीमती जमना कुमारी रेस्पोडेन्ट संख्या 3 के नामान्तरण की जांच किये बगैर दुबारा नामान्तरण स्वीकृत किया गया हैं, जो काबिल निरस्त योग्य हैं। तहसीलदार द्वारा उक्त नामान्तरण कानून के खिलाफ, कतई गलत खोला गया हैं, जिसे प्रथम दृष्टया खारीज फरमाया जावें तथा पुर्वानूसार ग्राम पंचायत बड़गांव द्वारा खोले गऐ नामान्तरण को खाते दर्ज किया जाना कानूनन न्यायहित में आवश्यक हैं। उक्त आराजीयात भूमि में तहसीलदार बड़गांव द्वारा खोले गए नामान्तरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 3 श्रीमती जमना कुमारी का हिस्सा 121/1455 के बजाय 242/1455 गलत दर्ज हो गया, इसलिये वादग्रस्त आराजीयात भूमि में तहसीलदार बड़गांव द्वारा खोले गए नामान्तरण को निरस्त किया जाना कानुनन न्यायहित में आवश्यक हैं। अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर विद्वान तहसीलदार महोदय बड़गांव द्वारा निर्णित नामान्तरकरण संख्या 2558 दिनांक 22-04-2022 को निरस्त कराया जाकर एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 3 श्रीमती जमना कुमारी का हिस्सा 242/1455 के बजाए 121/1455 पुनः दर्ज किया जावें एवं शेष बची जमीन अपीलान्ट के पुनः दर्ज की जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 1, 2, 4 बावजूद सूचना अनुपस्थित, जिनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 3 द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील में वर्णित तथ्यों को वर्णन करते हुए निवेदन किया कि मौजा ग्राम बड़गांव स्थित आराजी संख्या 793 रकबा 0.1455 हैक्टेयर भूमि अपीलार्थी एवं अन्य खातेदारों के नाम दर्ज थी। अपीलार्थी द्वारा उक्त भूमि में अपना हिस्सा जरिये मुख्तियार आम दिनांक 02.12.2020 को रेस्पोडेन्ट संख्या 3 श्रीमती जमना शर्मा के पक्ष में विक्रय किया गया, जिसका नामान्तरण ग्राम पंचायत बड़गांव द्वारा दिनांक 09.12.2020 को स्वीकृत कर लिया गया। इसके बावजूद तहसीलदार बड़गांव द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान के दौरान दिनांक 22.04.2022 को बिना उचित जांच के पुनः नामान्तरण संख्या 2558 स्वीकृत कर दिया गया। यह कार्यवाही कानून विरुद्ध एवं त्रुटिपूर्ण है। साथ ही, नामान्तरण में श्रीमती जमना कुमारी का हिस्सा 121/1455 के स्थान पर गलत रूप से 242/1455 दर्ज कर दिया गया। अतः अपीलार्थी उक्त नामान्तरण को निरस्त कर सही हिस्सेदारी पुनः दर्ज किए जाने का आदेश फरमाया जावे।

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट

जिला कलक्टर
उदयपुर

न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर
प्र.स. 02/26 अपील (राजस्व)
हिम्मतसिंह बनाम अंजना
GCMS no. 2026/8

विद्वान अधिवक्ता विपक्षी संख्या 3 द्वारा निवेदन किया गया कि यदि अपीलाण्ट की अपील स्वीकार फरमायी जाती है तो कोई आपत्ति नहीं है।

प्रकरण में उपस्थित अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध नामान्तरकरण संख्या 2473 दिनांक 09.01.2020 एवं नामान्तरकरण संख्या 2558 दिनांक 22.04.2022 पर अंकित रजिस्ट्रीकरण बंधक संख्या एवं दिनांक के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि उक्त दोनो नामान्तरकरण एक ही विक्रय पत्र संख्या 202003108103242 दिनांक 03.12.2020 के आधार पर स्वीकृत किये गये है। साथ ही रेस्पोडेण्ट संख्या 3 द्वारा भी उक्त अपील को स्वीकार करने में कोई आपत्ति नही होने का निवेदन किया है। अतः नामान्तरकरण संख्या 2558 दिनांक 22.04.2022 खारिज किया जाना न्यायोचित है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर तहसीलदार बड़गांव द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 2558 दिनांक 22.04.2022 खारिज किया जाता है।

निर्णय की प्रति तहसीलदार बड़गांव को पालनार्थ प्रेषित की जावे। प्रकरण फैसल शुमार हो, बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

(गौरव अग्रवाल)
जिला कलक्टर
उदयपुर